संख्या-2299/एक-10-2022-12(34)/2003 टीसी-1

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, अमेठी, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गोण्डा, मीरजापुर, रामपुर, हमीरपुर, एटा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, अमरोहा, झांसी, गाजीपुर, बस्ती, जालौन, गाजियाबाद, आगरा, पीलीभीत, महोबा, शाहजहॉपुर, सहारनपुर, हरदोई, भदोही, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, मेरठ एवं लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2023

विषयः वर्ष 2022-23 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2022-23 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय एवं अलाव जलाने के लिये रू0 6,30,43,000/- (रूपये छः करोड़ तीस लाख तेंतालिस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 0सं	जनपद का नाम	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि	अलाव हेतु आवंटित धनराशि	कुल आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	फर्रूखाबाद	15.00	1.50	16.50
2	सिद्धार्थनगर	-	2.50	02.50
3	महराजगंज	22.29	5.00	27.29
4	अमेठी	64.54	2.00	66.54
5	फिरोजाबाद	40.21	1.50	41.71
6	मुरादाबाद	10.00	02.00	12.00
7	गोण्डा	20.00	2.00	22.00
8	मिर्जापुर	09.54	2.00	11.54
9	रामपुर	-	3.00	03.00
10	हमीरपुर	20.00	02.00	22.00
11	एटा	23.25	-	23.25

12	मुजफ्फरनगर	31.52	2.00	33.52
13	अमरोहा	22.50	-	22.50
14	प्रयागराज	15.00	4.00	19.00
15	झांसी	18.00	-	18.00
16	गाजीपुर	16.08	3.50	19.58
17	बस्ती	20.00	2.00	22.00
18	जालौन	22.57	2.50	25.07
19	गाजियाबाद	-	1.50	1.50
20	आगरा	27.00	-	27.00
21	पीलीभीत	25.00	-	25.00
22	महोबा	-	03.00	03.00
23	शाहजहाँपुर	30.00	-	30.00
24	सहारनपुर	-	2.50	2.50
25	हरदोई	49.02	2.50	51.52
26	भदोही	8.78	-	8.78
27	कौशाम्बी	15.00	1.50	16.50
28	संतकबीर नगर	13.00	-	13.00
29	मेरठ	13.63	-	13.63
30	लखनऊ	30.00	-	30.00
		योग		630.43
		(रूपये छः करोड़ तीस लाख तेंतालिस हजार मात्र)		

(1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2117/एक-10-2022- 12(34)/2003 टीसी-1, दिनांक 10.11.2022 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आपूर्तित संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चैड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने जैसी यथोचित कार्यवाही की जाए।

(4) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदो के अनुसार किया जायेगा।

(5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(6) निर्बल,निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हिकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतिक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतिक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरूष/महिला, निराश्रित एवं आसहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि

का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।

(8) निशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।

(12) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 2299(1)/एक-10-2022-12(34)/03 टीसी-1, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

05.01.23

(राम केवल)

विशेष सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-06/01/2023

प्रेषण संख्या:- 2299
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2299
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 5500000	250000 5500000
2	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3352000 5552000	3352000 5552000
3	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1363000 3013000	1363000 3013000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2700000 9500000	2700000 9500000
5	एटा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2325000 3975000	2325000 3975000
6	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 3800000	1200000 3800000
7	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 5750000	3000000 5750000
8	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
9	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 6600000	300000 6600000
10	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1650000 3300000	1650000 3300000
11	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1900000 6800000	1900000 6800000
12	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 4550000	1800000 4550000
13	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2507000 5257000	2507000 5257000
14	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 4400000	2200000 4400000
15	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1154000 3354000	1154000 3354000
16	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1958000 6308000	1958000 6308000
17	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 4400000	2200000 4400000
18	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 10750000	3000000 10750000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5152000 12902000	5152000 12902000
20	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 4400000	2200000 4400000
21	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 1800000	150000 1800000
22	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 5500000	250000 5500000
23	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4171000 9421000	4171000 9421000
24	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2729000 4929000	2729000 4929000
25	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 3450000	300000 3450000
26	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	878000 2528000	878000 2528000
27	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1300000 3450000	1300000 3450000
28	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1650000 3300000	1650000 3300000
29	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2250000 4450000	2250000 4450000
30	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6654000 10354000	6654000 10354000
	योग	वर्तमान प्रगामी	63043000 164543000	63043000 164543000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ तीस लाख तियालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ पैंतालीस लाख तियालीस हजार

6/1/23

(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त कार्यालय

उ० प्र० शासन।